उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण, खण्डपीठ, नैनीताल

उपस्थितः माननीय श्री राजेन्द्र सिंह

.....उपाध्यक्ष (न्यायिक)

याचिका संख्या 24 / एन0बी0 / एस0बी0 / 2022

खुशवन्त सिंह आयु 36 वर्ष, पुत्र श्री जसवंत सिंह, हाल कार्यरत– उप–निरीक्षक पुलिस, स्टेशन कोतवाली बागेश्वर, जिला बागेश्वर।

.....याची

बनाम्

1. उत्तराखण्ड राज्य द्वारा गृह सचिव, सचिवालय देहरादून।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. पुलिस महानिरीक्षक, कुमांऊ परिक्षेत्र, नैनीताल।
4. पुलिस अधीक्षक, बागेश्वर, जिला बागेश्वर।

.....उत्तरदाता / प्रतिवादीगण

उपस्थितिः श्री बीरेन्द्र सिंह अधिकारी, याची के अधिवक्ता।
श्री किशोर कुमार, सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी।

निर्णय

दिनांकः दिसम्बर 15, 2023

प्रस्तुत याचिका, याचीकर्ता द्वारा विपक्षी संख्या 4 द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 05.08.2020 (संलग्नक सं0 1) एवं विपक्षी संख्या 3 द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 12.12.2020 (संलग्नक सं0 2) को निरस्त करने हेतु दायर की गयी है।

2. संक्षेप में याचिका के तथ्य इस प्रकार हैं कि जब याची वर्ष 2019, थाना काण्डा में नियुक्त थे तो इन पर यह आरोप है कि थाना काण्डा में पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 16 / 2019 धारा 302 / 201 / 34 भा०द०वि० बनाम हरीश सिंह बोरा व 06 अन्य से सम्बन्धित अभियोग की विवेचना सम्पादित किये जाने हेतु दिनांकः 04.11.2019 को इनको आवंटित की गयी थी। याची के द्वारा उक्त अभियोग में 03 माह का समय व्यतीत होने के उपरान्त भी अभियोग का सफल अनावरण नहीं किया गया और न ही कोई ठोस प्रयास किये गये। नामजद अभियुक्तों में से एक अभियुक्त भगवान सिंह से ही पूछताछ कर बयान लिये गये हैं। अन्य 06 अभियुक्तों से पूछताछ नहीं की गयी है और न ही उनके बयान लिये गये हैं। मृतक के शरीर में आयी चोटों व मृत्यु के कारणों के सम्बन्ध में भी पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक के बयान भी नहीं लिये गये हैं। नामजद अभियुक्तगणों के आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में भी कोई

जानकारी प्राप्त नहीं की गयी है। जबकि उक्त अभियोग अत्यन्त गम्भीर/जघन्य प्रकृति का अपराध है। इसके उपरान्त भी विवेचक द्वारा अभियोग की जघन्यता/गम्भीरता को नहीं देखा गया। ऐसे अपराधों के सम्बन्ध में विवेचनाओं की त्वरित कार्यवाही किये जाने हेतु पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा समय–समय पर विवेचक को दिशा–निर्देश दिये गये हैं। विवेचक द्वारा पर्यवेक्षण अधिकारियों के दिशा–निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। वर्तमान में उक्त अभियोग से सम्बन्धित विवेचना श्री कैलाश सिंह बिष्ट, थानाध्यक्ष वैजनाथ को सम्पादित किये जाने हेतु आवंटित की गयी है। आपका यह कृत्य उक्त अभियोग के अनावरण हेतु विशेष रुचि न लिए जाने एवं विवेचना के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता को प्रदर्शित करता है, जिसकी परिनिन्दा की जाती है।

याची का कथन है कि उक्त आरोप के संबंध में पत्र दिनांक 02.07.2020 के द्वारा प्रस्तावित उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की)(दण्ड एवं अपील) नियमावली–1991 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 के नियम 4(1)(ख) के उपनियम(चार) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही सम्पन्न होने के अर्न्तगत परिनिन्दा प्रदान किये जाने का कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया, जिसका याची द्वारा अपना लिखित स्पष्टीकरण दिनांक 28.07.2020 को प्रस्तुत किया गया और कहा कि FIR No 16/19 U/S 302/201 IPC बनाम हरीश सिंह बोरा आदि 03.11.2019 को थाना में पंजीकृत होकर अभियोग की प्रारम्भिक विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री गोविन्द बल्लम भट्ट, थाना काण्डा के सुपुर्द हुयी। जिनके द्वारा अभियोग की प्रारम्भिक विवेचना की गयी। तत्श्चात् उच्चाधिकारीगणों के आदेशानुसार दिनांक 06.11.19 को अभियोग की विवेचना मुझ उप निरीक्षक के सुपुर्द हुई। प्रार्थी द्वारा दौराने विवेचना उक्त अभियोग में नामजद हरीश सिंह व अन्य अभियुक्तगण को बार–बार थाने बुलाकर घटना के सम्बन्ध में रुचि लेकर पूछताछ की गयी। अभियोग में दौरान पूछताछ नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 302/201/34 भा0द0वि0 के अपराध के पर्याप्त साक्ष्य नही मिल पाये अभियुक्तगणों से पूछताछ का तस्करा रो०आम में अंकित किया गया तथा नामजद अभियुक्तों में से भगवान सिंह के विस्तृत बयान दर्ज किये गये तथा मृतक के पोस्टमार्टमकर्ता डॉक्टर के बयान भौतिक/परिस्थितिजनक साक्ष्यों के आधार पर अंकित किये जाने के कारण दर्ज नहीं किये गये। पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया गया। अपराध अत्यधिक गम्भीर/जघन्य होने के कारण अभियोग में कड़ी मेहनत कर अभियोग का अनावरण करने का प्रयास किया गया, लेकिन अभियोग का सफल अनावरण नहीं किया जा सका, परन्तु याचीकर्ता के स्पष्टीकरण में अंकित तथ्यों पर बिना विचार किये दण्डादेश दिनांक 05.08.2020 पारित किया गया, जो अविधिक एवं अनियमित होने के कारण निरस्त होने योग्य है। याची ने उक्त दण्डादेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की, परन्तु अपीलीय अधिकारी द्वारा उसकी अपील में उल्लिखित तथ्यों पर बिना विचार किये, याची की अपील अपीलीय आदेश दिनांक 12.12.2020 द्वारा दण्डाधिकारी द्वारा दिये गये दण्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन न करते हुए एवं अपील

बलहीन मानते हुए अस्वीकृत कर दी गयी। तद्नुसार याचिका वास्ते अपास्त करने आदेश दिनांक 05.08.2020 व अपीलीय आदेश दिनांकित 12.12.2020 दायर की गयी।

3. विपक्षीगण की ओर से प्रतिशपथपत्र/लिखित विवेचन प्रस्तुत किया गया जिसमें यह कहा गया कि वर्ष 2019 में जब याची थाना काण्डा में नियुक्त था तो थाना काण्डा में पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 16/2019 धारा 302/201/34 भादवि बनाम हरीश सिंह बोरा व 06 अन्य से सम्बन्धित अभियोग की विवेचना सम्पादित किये जाने हेतु दिनांक 04.11.2019 को इनको आबंटित की गयी थीं। याची द्वारा 03 माह का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी अभियोग का सफल निस्तारण नहीं किया गया और न ही कोई ठोस प्रयास किये गये। नामजद अभियुक्तों में से एक अभियुक्त भगवान सिंह से ही पूछताछ कर बयान लिये गये हैं। अन्य 06 अभियुक्तों से पूछताछ नहीं की गयी और न ही उनके बयान लिये गये है। मृतक के शरीर में आई चोटों व मृत्यु के कारणों के सम्बन्ध में भी पोस्ट मार्टम करने वाले चिकित्सक के बयान भी नहीं लिये गये हैं। नामजद अभियुक्तगणों के आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में भी कोई जानकारी प्राप्त नहीं की गयी है जबकि उक्त अभियोग अत्यन्त गम्भीर/जघन्य प्रकृति का है। इसके उपरान्त भी विवेचक द्वारा अभियोग की जघन्यता/गम्भीरता को नहीं देखा गया। ऐसे अपराधों के सम्बन्ध में विवेचनाओं की त्वरित कार्यवाही किये जाने हेतु पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा समय–समय पर विवेचकों को दिशा निर्देश दिये गये है।

याची के उपरोक्त कृत्य के लिये नियमानुसार प्रारम्भिक जांच करायी गयी तथा प्रारम्भिक जांचकर्ता अधिकारी तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक बागेश्वर श्री महेश चन्द्र जोशी द्वारा अपनी जांच आख्या दिनांकित 21.03.2020 के निष्कर्ष में अंकित किया गया है कि याची को थाना काण्डा पर पंजीकृत एफआईआर संख्या 16/19 धारा 302/201/34 भादवि बनाम नामजद हरीश सिंह बोरा व अन्य 06 की विवेचना में घोर लापरवाही व उदासीनता बरतने व अभियोग के अनावरण हेतु विशेष रूचि न लिये जाने का दोषी है। प्रारम्भिक जांच की आख्या प्राप्त होने के उपरान्त कारण बताओं नोटिस संख्या द–17/2020 दिनांकित 02.07.2020 के द्वारा प्रस्तावित उत्तराखण्ड (उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली–1991 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 के नियम 4(1) (ख) के उप नियम (चार) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही सम्पन्न होने के फलस्वरूप उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007 के प्रस्तर–23(2) (ख) में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत परिनिन्दा प्रविष्टि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। याची द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण सम्बन्धित दण्ड पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता से अवलोकन/अध्ययन किया गया तो याची द्वारा अपने बचाव पक्ष में काई ठोस तथ्य अंकित नहीं किये गये तथा दण्डादेश संख्या–17/2020 दिनांकित 05.08.2020 पारित किया गया। याची द्वारा उक्त दण्डादेश के विरूद्ध पुलिस महानिरीक्षक कुमायूँ परिक्षेत्र, नैनीताल के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जिस पर सम्यक विचारोपरान्त अपना निर्णय पारित करते हुये, आदेश संख्या सीओके–150 (21)/2020 दिनांकित 12.12.2020 के द्वारा प्रश्नगत अपील को

अस्वीकृत किया गया तथा दण्डादेश को यथावत रखा गया। अतः याचीकर्ता के द्वारा योजित की गयी याचिका असत्य एवं भ्रामक तथ्यों पर आधारित है, जिस कारण याचिका खारिज होने योग्य है।

4. याची की ओर से प्रतिउत्तरशपथ पत्र दाखिल किया गया जिसमें विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत प्रतिशपथपत्र/लिखित विवेचन में किये गये कथनों का प्रतिकार करते हुए याचिका में किये गये कथनों की पुनरावृत्ति की गयी है।

5. मैंने याची के विद्वान अधिवक्ता श्री बिरेन्द्र सिंह अधिकारी तथा विपक्षीगण की ओर से विद्वान सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी श्री किशोर कुमार को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

6. याचीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस यह तर्क दिया कि याचीकर्ता के विरूद्ध विपक्षी सं0 4 द्वारा जांच अधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, बागेश्वर की प्रारम्भिक जांच आख्या के आधार पर आरोप निम्न तथ्यों पर सुनिश्चित करते हुए परिनिन्दा लेख से दण्डित किया गया कि ''**जब आप वर्ष 2019 में थाना काण्डा में नियुक्त थे, तो थाना काण्डा में पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्याः 16/2019 धारा 302/201/34 भा०द०वि० बनाम् हरीश सिंह बोरा व 06 अन्य से सम्बन्धित अभियोग की विवेचना सम्पादित किये जाने हेतु दिनांक 04–11–2019 को आपको आवंटित की गयी थी। आपके द्वारा उक्त अभियोग में 03 माह का समय व्यतीत होने के उपरान्त भी अभियोग का सफल अनावरण नहीं किया गया और न ही कोई ठोस प्रयास किय गये। नामजद अभियुक्तों में से एक अभियुक्त भगवान सिंह से ही पूछताछ कर बयान लिये गये हैं। अन्य 06 अभियुक्तों से पूछताछ नहीं की गयी है और न ही उनके बयान लिये गये हैं। मृतक के शरीर में आयी चोटों व मृत्यु के कारणों के सम्बन्ध में भी पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक के बयान भी नहीं लिये गये हैं। नामजद अभियुक्तगणों के आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में भी कोई जानकारी प्राप्त नहीं की गयी है जबकि उक्त अभियोग अत्यन्त गम्भीर/जघन्य प्रकृति का अपराध है। इसके उपरान्त भी विवेचक द्वारा अभियोग की जघन्यता/गम्भीरता को नहीं देखा गया। ऐसे अपराधों के सम्बन्ध में विविचनओं की त्वरित कार्यवाही किये जाने हेतु पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा समय–समय पर विवेचक को दिशा–निर्देश दिये गये हैं। विवेचक द्वारा पर्यवेक्षण अधिकारियों के दिशा–निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। वर्तमान में उक्त अभियोग से सम्बन्धित विवेचना श्री कैलाश सिंह बिष्ट, थानाध्यक्ष वैजनाथ को सम्पादित किये जाने हेतु आवंटित की गयी है। आपका यह कृत्य उक्त अभियोग के अनावरण हेतु विशेष रुचि न लिए जाने एवं विवेचना के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता को प्रदर्शित करता है।**

7. याचीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान बहस यह भी तर्क दिया कि याचीकर्ता को दिनांक 4.11.2019 को विवेचना आंवटित होने के उपरान्त याचीकर्ता द्वारा दिनांक 4.11.2019 को ही विवेचना प्राप्त करते हुए थाना कार्यालय से पूर्व में किता किये गये तथ्यों को

प्राप्त कर उनका अवलोकन किया गया था। दिनांक 05.11.2019 को वादी मुकदमा गोपाल दत्त जोशी के बयान अंकित किये गये तथा निरीक्षण घटना स्थल कर नक्शा नजीर तैयार किया गया और अन्य आस–पास के लोगों के समायी साक्ष्य के रूप में बयान दर्ज किये गये तत्पश्चात दिनांक 07.11.2019 को मृतक के शव का पंचनामा रूबरू गवाहन तैयार किया गया तथा शव का पोस्टमार्टम करवाया गया दिनांक 08.11.2019 बयान गवाह श्रीमती गीता जोशी पत्नी मृतक दिनेश चन्द्र जोशी गवाहन रवि जोशी पुत्र स्व0 दिनेश चन्द्र जोशी दर्ज किये गये, तथा दिनांक 10.11.2019 को नामजद अभियुक्त भगवान सिंह पुत्र दलीप सिंह के बयान दर्ज किये गये, दिनांक 16.11.2019 को बयान सुजान सिंह लिये गये एवं दिनांक 21.11.2019 को ग्राम प्रहरी सुन्दर राम के बयान केस डायरी में दर्ज किये गये, दिनांक 22.11.2019 को बयान दीवान सिंह व दिनांक 26.11.2019 को बयान राजेन्द्र उर्फ अनिल, दिनांक 27.11.2019 भाष्कर पाण्डे, दिनांक 02.12.2019 को हरिश्चन्द्र पंत, दिनांक 04.12.2019 भगवान राम पुत्र धनीराम व दिनांक 06.12.2019 को बयान कमला देवी अंकित किये गये तथा घटना स्थल से खून सनी मिट्टी एवं सादी मिट्टी के जो नमूने लिये गये थे उसे माननीय न्यायालय से अनुमति लेकर दिनांक 24.12.2019 को बायोकेमिकल परीक्षण हेतु सुशीला तिवारी अस्पताल, हल्द्वानी आर.एफ.एस.एल रूदपुर एवं विधि विज्ञान प्रयोगशाला देहरादून को भेजा गया। दिनांक 25.12.2019 को बयान सूरज कुमार व दिनांक 01.01.2020 को बयान कान्स0 197 प्रकाश सिंह दर्ज किये गये। दिनांक 05.01.2020 को बयान साधू सिंह दिनांक 20.1.2020 को गवाह पंचायत नामा जय कृष्ण जोशी तथा कैलाश चन्द्र जोशी तथा दिनांक 24.01.2020 को बयान भगवान सिंह पुत्र आन सिंह एवं दिनांक 15.02.02020 को नन्दराम पुत्र बच्चीराम के बयान दर्ज किये गये।

8. याचीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान बहस यह भी तर्क दिया कि प्रमाणित छायाप्रति केस डायरी के साथ दिशा–निर्देश पत्र पुलिस उपाधीक्षक, बागेश्वर, पुलिस अधीक्षक, बागेश्वर को याचीकर्ता की ओर से दाखिल किया गया है। जिससे यह स्पष्ट है कि याचीकर्ता द्वारा पूरी रूचि के साथ प्रश्नगत अभियोग की विवेचना करते हुए संबंधित गवाहन के बयानात अंकित किये गये तथा भौतिक/परिस्थितिजनक आधार पर नामजद अभियुक्त भगवान सिंह के अतिरिक्त शेष अभियुक्तगण एंव पोस्टमार्टमकर्ता डा0 के बयान दर्ज नहीं किये गये। पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया गया, जैसा कि याचीकर्ता द्वारा कारण बताओ नोटिस के उत्तर में अपना जवाब दाखिल करते हुए भी अभि–कथित किया गया, लेकिन विपक्षी सं0 4 व जांच अधिकारी द्वारा याचीकर्ता के द्वारा दिये गये जवाब का अवलोकन किये बिना ही याचीकर्ता को परिनिन्दा लेख से दण्डित किया गया है जो पूरी तरह विधि विरूद्ध है। अतः विपक्षी सं0 4 द्वारा पारित किये गये परिनिन्दा दण्डादेश दिनांकित 05.08.2020 एवं उसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील में अपीलीय प्राधिकारी विपक्षी सं0 3 द्वारा याचीकर्ता की अपील को अस्वीकार किया गया जो अपास्त होने योग्य है। अपास्त किया जाये।

9. जबकि विपक्षीगण की ओर सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने याचीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्कों का खण्डन करते हुए कहा कि निःसदेंह याचीकर्ता द्वारा केस डायरी में उल्लिखित गवाहन के बयानात व निरीक्षण घटनास्थल, पंचनामा–शव मृतक एवं पोस्टमार्टम की कार्यवाही दौराने विवेचना की गयी है, लेकिन याचीकर्ता द्वारा पुलिस उपाधीक्षक, बागेश्वर के द्वारा दिनांक 07.11.2019 को प्रश्नगत मामला हत्या जैसे जघन्य अपराध को दृष्टिगत रखते हुए दिशा–निर्देश दिये गये और जिसमें नामित अभियुक्तगण से भी गहनता से हर पहलू पर पूछताछ कर नामित अभियुक्त के विरूद्ध ठोस साक्ष्य संकल्न कर तदनुसार गिरफ्तारी की कार्यवाही करने एवं मृतक की पी0एम0 रिपोर्ट का गहनता से विश्लेषण कर तदनुसार मृतक का पी0एम0 करने वाले चिकित्सक का बयान अंकित करने हेतु निर्देशित किया गया था तथा यह भी स्पष्ट उल्लिखित किया था कि दिये गये निर्देशों का शत–प्रतिशत अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें। जिसके बावजूद याचीकर्ता द्वारा नामजद सात अभियुक्तगणों में से केवल एक नामजद अभियुक्त भगवान सिंह के बयान केस डायरी में दिनांक 10.11.2019 को दर्ज किये गये और शेष छः अभियुक्तगण के बयानात दर्ज नहीं किये गये साथ ही पोस्टमार्टम करने वाले डा0 के बयानात भी दर्ज नहीं किये गये, जिसके संबंध में पुनः पुलिस उपाधीक्षक, कपकोट बागेश्वर द्वारा 21 जनवरी, 2020 को 15 निर्देशों के साथ पत्र जारी किया गया साथ ही माह जनवरी, 2020 में पुलिस अधीक्षक, बागेश्वर द्वारा भी याचीकर्ता को पत्र प्रेषित करते हुए, प्रश्नगत मामला जो हत्या जैसे जघन्य अपराध से संबंधित था, के संबंध में विवेचना को अनावश्यक लंबित रखने पर याची की कार्यकुशलता व अपने दायित्यों के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करने के बाबत निर्देशित किया गया था, लेकिन इसके बावजूद याची द्वारा उच्च अधिकारीगण एवं पर्यवेक्षण के दिशा–निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया और जिस कारण से याचीकर्ता के विरूद्ध उनके द्वारा प्रश्नगत विवेचना में बरती गयी लापरवाही, उदासीनता के संबंध में पुलिस उपाधीक्षक, बागेश्वर को प्रारम्भिक जांच सौंपी गयी और जिनके द्वारा अपनी जांच में मुख्य रूप से नामजद अभियुक्त भगवान सिंह के अतिरिक्त अन्य अभियुक्तगण से पूछताछ कर उनके बयान अंकित नहीं करने, मृतक के शरीर में आयी चोटें व मृत्यु के कारणों के संबंध में पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक से पूछताछ कर बयान अंकित नहीं करने का दोषी पाते हुए, जांच आख्या प्रेषित की गयी, जिसके आधार पर पुलिस अधीक्षक, बागेश्वर द्वारा याचीकर्ता को उसके द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण में कोई ठोस आधार नहीं दिये जाने के कारण परिनिन्दा लेख से दण्डित किया गया है जिसमें कोई भी वैधानिक त्रुटि नहीं है। अतः याचीकर्ता की याचिका निरस्त की जाये।

10. पत्रावली पर इस स्तर पर उपलब्ध साक्ष्य एवं उक्त चर्चित तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि थाना काण्डा जनपद बागेश्वर में पंजीकृत प्र0सू0रि0 सं0 16/2019, धारा 302/201/34 भा0द0वि0 बनाम हरीश सिंह आदि की विवेचना याचीकर्ता को दिनांक 04.11.2019 को आवंटित की गयी और चूंकि मामला हत्या जैसे जघन्य अपराध से संबंधित होने के कारण, पुलिस उपाधीक्षक, बागेश्वर द्वारा याचीकर्ता को दिनांक 07.11.2019 को पत्र प्रेषित

करते हुए क्रम सं0 1 से 9 निर्देश जारी किये गये और जिनका शत–प्रतिशत अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करना भी अपेक्षित किया गया था, जिसके क्रम सं0 4,5 व 7 में निम्न प्रकार से निर्देशित किया था कि–

4–नामित अभियुक्तगण से भी गहनता से हर पहलू पर पूछताछ कर नामित अभियुक्तगण के विरूद्ध ठोस साक्ष्य संकलन कर तदनुसार गिरफ्तारी की कार्यवाही करें।

5– नामित अभियुक्तगण व मृतक के आपसी संबंधों /रंजिश, लेन –देन संबंधी विवाद चरित्र आचरण संबंधित विवाद आदि के संबंध में भी साक्ष्य एकत्र किये जाए।

6–.....

7– मृतक की पीएम रिपोर्ट का गहनता से विश्लेषण करें तथा तदनुसार मृतक का पीएम करने वाले चिकित्सक के बयान अंकित करें।

11. उपरोक्त दिशा–निर्देशों के बावजूद याचीकर्ता/विवेचक द्वारा उपरोक्त दिशा–निर्देशों का गम्भीरता से अनुपालन नहीं किया गया जिसके बाद उन्हें पर्यवेक्षण अधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक कपकोट द्वारा उपरोक्त दिशा–निर्देशों के अतिरक्ति पुनः अन्य पत्र दिनांकित 21 जनवरी, 2020 को 15 दिशा–निर्देशों के साथ जारी किया गया। इतना ही नहीं माह जनवरी, 2020 में याचीकर्ता को पुलिस अधीक्षक, बागेश्वर द्वारा भी प्रश्नगत अभियोग में दो माह से अधिक का समय व्यतीत होने के पश्चात् भी विवेचना के निस्तारण व अनावरण हेतु कोई ठोस व सार्थक प्रयास नहीं किये जाने पर याचीकर्ता की कार्यकुशलता पर प्रश्नचिन्ह लगाते व दायित्वों के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करने बावत पत्र जारी किया गया था तथा मामले का यथाशीघ्र अनावरण करते हुए सफल निस्तारण करने हेतु भी सुनिश्चित किया गया था, लेकिन उच्चाधिकारीगण के उपरोक्त दिशा–निर्देशों के बावजूद भी संदर्भित विवेचना लगभग तीन माह से अधिक समय तक याची उपनिरीक्षक के सुपुर्द रही, और नामजद सात अभियुक्तगण में से मात्र एक अभियुक्त भगवान सिंह से ही पूछताछ कर उसके बयान अंकित किये गये हैं शेष अभियुक्तगण से कोई पूछताछ कर बयान अंकित नहीं किये गये साथ ही मृतक के शरीर में आयी चोंटों व मृत्यु के कारणों के संबंध में भी पोस्टमार्टमकर्ता चिकित्सक से पूछताछ कर बयान अंकित नहीं किये गये जो निःसंदेह आपत्तिजनक था। याचीकर्ता द्वारा लगाये गये आरोप के संबंध में दिये गये स्पष्टीकरण में केवल यह उल्लिखित करना कि **''नामजद अभियुक्तों में से भगवान सिंह का विस्तृत बयान दर्ज किया गया तथा मृतक का पोस्टमार्टमकर्ता डा0 के बयान भौतिक/परिस्थितिजनक साक्ष्य के आधार पर अंकित किये जाने के कारण दर्ज नही किये गये।''** याचीकर्ता द्वारा अपने उपरोक्त कथनों के संबंध में भौतिक एवं परिस्थितिजनक साक्ष्य का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया कि ऐसे कौन से भौतिक व परिस्थितिजनक साक्ष्य थे जिसके उपरान्त अन्य छः अभियुक्तगणों व पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक के बयान दर्ज करना उचित नही पाया गया। जबकि याचीकर्ता की ओर से दाखिल केस डायरी में अभियुक्त भगवान सिंह के द्वारा अपने बयानात में घटना की तिथि 30.10.2019

को सांय लगभग 05.20 बजे हरीश के घर बहादुर सिंह, पान सिंह, नवीन सिंह, तथा मृतक दिनेश जोशी को बैठा होना कहा गया जो शराब पी चुके थे तथा अपने पैसे भी दे चुके थे तथा तीन अन्य लोग दीवान, सूरज ,राकेश को बैठा होना कहा गया है आदि। ऐसी परिस्थिति में अन्य अभीयुक्तगण के साक्ष्य अंकित नही किये जाने का कोई ठोस आधार याचीकर्ता की ओर से नहीं दिया गया है तथा भगवान सिंह के बयानात में मृतक का शव सड़क से लगभग 300 मीटर गधेरे में पड़ा मिलना पंचायतनामा के गवाह द्वारा कहा गया। ऐसी स्थति में पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक के बयान मृतक के मृत्यु का कारण जानने हेतु लेने भी नितांत आवश्यक थे। अतः उपरोक्त साक्ष्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए याचीकर्ता को पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा समय–समय पर दिये गये दिशा–निर्देशों का याची द्वारा अनुपालन नही किया गया जिस कारण से विपक्षी सं0 4 पुलिस अधीक्षक, बागेश्वर द्वारा पारित परिनिन्दा लघु दण्डादेश दिनांक 05.08.2020 एवं याची द्वारा उक्त दण्डादेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 12.12.2020 में कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। तदनुसार याचीकर्ता की याचिका निरस्त होने योग्य है।

आदेश

याचीकर्ता उपनिरीक्षक श्री खुशवन्त सिंह की याचिका निरस्त की जाती है। मामले की परिस्थितियों को देखते हुए पक्षकार वाद व्यय अपना–अपना वहन करेंगे।

दिनांकः दिसम्बर 15, 2023
देहरादून।

(राजेन्द्र सिंह)
उपाध्यक्ष (न्यायिक)

के0एन0पी0/रेनु